निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 135/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. पूरण सिंह पुत्र श्री रोतान सिंह
2. जल सिंह पुत्र श्री रोतान सिंह
3. शंकर सिंह पुत्र श्री रोतान सिंह
4. धीर सिंह पुत्र श्री रोतान सिंह

समसत जाति राजपूत, निवासी लुकाना खुर्द, तहसील विंराटनगर, जिला जयपुर ।

प्रार्थीगण

बनाम

1 अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली, जिला जयपुर श्री जगदीश आर्य आर.ए.एस.।

2 हनुमान पुत्र लादू, जाति गुर्जर, निवासी देल्डा की ढाणी, रूपपुरा फतेहपुरा, तहसील पावटा, जिला जयपुर।

3 सारा देवी पुत्री लादू पत्नी श्री सेडूराम हाल निवासी मथुरावाली ढाणी, ग्राम बजरंगपुरा, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

जिला कलक्टर जयपुर जिला

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र विरूद्व अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली, जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 44/2021 ब उनवानी पूरण सिंह व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत ।

उपस्थित

1. श्री बनवारी लाल शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री अशोक कुमार अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।

निर्णय दिनांक 02.08.2022

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली, जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 44/2021 ब उनवानी पूरण सिंह व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली, जिला जयपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से श्री अशोक कुमार अभिभाषक जरिये वकालतन उपस्थित हुये।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को गांव में दिनांक 26.06.2022 धमकी दी है कि हमने अपने प्रभाव से वाद को खारिज करवा दिया है। शीघ्र ही अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली के कोर्ट कैम्प विराटनगर में स्थित अपील संख्या 44/2021 को भी खारिज करवा देगें और शीघ्र ही अपने

जिला कलक्टर
जयपुर

नाम नामान्तरकरण खुलवा लेंगे। अप्रार्थी संख्या 2 से 3 की उक्त हरकतों को देख कर प्रार्थी आश्चर्यचकित हो गया है कि ये कैसे हो सकता है। जब अप्रार्थी संख्या 1 अप्रार्थी संख्या 2 से 3 से मिल गया है तो फिर प्रार्थीगण को न्याय प्राप्त होना असंभव है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी उक्त प्रकरण को न्यायिक विवेक एवं न्यायिक कार्यवाही के तहत निस्तारण करने के इच्छुक नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण में निष्पक्ष एवं ईमानदारी से न्याय किये जाने की अपेक्षा नहीं रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में छोटी–छोटी तारीख पेशी देने से भी प्रार्थीगण को पूर्ण संदेह हो गया है कि पीठासीन अधिकारी अप्रार्थीगण के प्रभाव में है तथा प्रार्थी को कोई न्याय की उम्मीद नहीं है। न्याय की मंशा के आधार पर उक्त प्रकरण में सही एवं निष्पक्ष न्याय करने हेतु उक्त प्रकरण को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर कि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली, जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 44/2021 ब उनवानी पूरण सिंह व अन्य बनाम सरकार व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ~~ने~~ उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये पर सहमत है।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. यद्यपि अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है, परन्तु प्रार्थी ने अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने पर शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। अप्रार्थी अधिवक्ता भी उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने पर समहत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 44/2021 ब उनवानी पूरण सिंह व अन्य बनाम सरकार व अन्य को अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर प्रथम में स्थानान्तरित किया जाता है। पक्षकारान अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 16.08.2022 को न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर प्रथम में उपस्थित हो।

9. अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

10. निर्णय की प्रति अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर प्रथम व अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली, को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर फैसल शुमार हो।

11. निर्णय आज दिनांक 02.08.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

जिला कलक्टर जयपुर जिला

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर